न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 47 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट — रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सराकर जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़। जिला जैसलमेर

बनाम 1.मलसिंह पुत्र सांगसिंह

2.बलवन्तसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भेलाणी तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 29/2012 बनवान स्व. सांगसिंह कायम मुकाम बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.11.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री रेवन्तसिंह सोलंकी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 18.07.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम भैलाणी के खसरा संख्या 271 रकबा 34.10 बीघा, खसरा संख्या 272 रकबा 16 बीघा, खसरा संख्या 274 रकबा 10.18 बीघा, खसरा संख्या 276 रकबा 10.08 बीघा, खसरा संख्या 277 रकबा 32.15 बीघा, खसरा संख्या 476 रकबा 17.09 बीघा कुल रकबा 122 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2014 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वक्त फाइनल सेटलमेंट अकाल की स्थिति होने से सेटलमेंट अधिकारियों ने रिकॉर्ड में रेस्पोडेंट/वादीगण के पिता के नाम से चली आ रही भूमि में से रकबा 315.00 बीघा भूमि तो दर्ज कर दी परन्तु बिना किसी ठोस आधार के रेस्पोडेंट के पिता की समरी के मालिकाना हक की भूमि को बिना कोई जांच किये हाल खसरा संख्या 271 रकबा 34.10 बीघा, खसरा संख्या 272 रकबा 16 बीघा, खसरा संख्या 274 रकबा 10.18 बीघा, खसरा संख्या 276 रकबा 10.08 बीघा, खसरा संख्या 277 रकबा 32.15 बीघा, खसरा संख्या 476 रकबा 17.09 बीघा कुल खसरा संख्या 06 रकबा 122 बीघा भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जो गलत था। रेस्पोडेंट/वादीगण समरी सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक अपीलाधीन आराजी पर काबिज है। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था अपीलाधीन निर्णय में राजकीय अभिभाषक की राय थी कि अपील की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार कर निर्णय गुणावगुण पर करना ज्यादा न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि पर्चा खतौनी (प्रदर्श–1) ठिकाना भेलाणी के खाता संख्या 63 मुताबिक सांगसिंह पुत्र भोपालसिंह (वादीगण के पिता) की समरी (सरसरी बंदोबस्त) में खसरा संख्या 26, 27, 42 एवं 57 का रकबा क्रमशः 86.05 बीघा, 05.15 बीघा, 230 बीघा, तथा 115 बीघा कुल 04 खसरों की 437 बीघा भूमि थी। तुलनात्मक पंजिका (प्रदर्श–2) ग्राम भेलाणी के अनुसार उक्त खसरों के अलावा खसरा संख्या 37(पाथली) रकबा 57.10 बीघा सहित **कुल 05 खसरों की 494.10 बीघा भूमि वर्तमान सेटलमेंट के खसरा संख्या 460, 431, 432, 433, 351, 453, 480 तथा 336(पाथली) का कुल 08 खसरों का रकबा 411 बीघा सांगसिंह पुत्र भोपालसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार के नाम खातेदारी अंकन हुआ है। यह तथ्य दावे में वादीगण ने छुपाया है।** खसरा परिवर्तनशील संवत 2065(प्रदर्श–14) मुताबिक दावाकृत खसरों मे से खसरा संख्या 277 में सवाईसिंह, भंवरसिंह पुत्र मलसिंह का 32 बीघा पर अतिक्रमण से कब्जा काश्त रहा है। व खसरा संख्या 475 में 10 बीघा पर जेतमालसिंह पुत्र बलवंतसिंह

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का कब्जा काश्त रहा है। इससे पूर्व वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त का कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। दावा सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया है तथा राजकीय सिवायचक भूमि हड़पने की नियत से पेश किया गया है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 29/2012 बनवान स्व. सांगसिंह कायम मुकाम बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.11.2014 को अपास्त किया जाता है।

18/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner